दिनांक 04.04.2025
प्रेस विज्ञप्ति 06/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद मऊ/थाना घोसी

- **पुलिस कार्यवाही में 25–25 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **797 ग्राम सफेद धातु के आभूषण**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 04.04.2025 को थाना घोसी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सरहरा पुलिया के पास बदमाशों की घेराबंदी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–नरेश घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–कोमल सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 797 ग्राम सफेद धातु के आभूषण, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिसमें अभियुक्त नरेश के विरूद्ध जनपद बदायू, औरैया, गाजीपुर, चन्दौली, मऊ व झारखण्ड प्रान्त के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, चोरी, धोखाधड़ी, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 15 अभियोग एवं अभियुक्त कोमल के विरूद्ध जनपद बदायूं, मऊ व झारखण्ड प्रान्त के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, चोरी, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त जनपद मऊ से वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25–25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना घोसी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—नरेश निवासी ग्राम भोजपुर नरायनपुर थाना कादर चौक जनपद बदायूं।

2—कोमल निवासी ग्राम धनपुरा थाना कादर चौक जनपद बदायूं।

बरामदगी

1—797 ग्राम सफेद धातु के आभूषण।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद बस्ती/थाना बाल्टरगंज

- **25—25 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 04.04.2025 को थाना वाल्टरगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मुड़घाट तिराहा के पास से 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्तों 1—अरविन्द कुमार 2—अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो थाना वाल्टरगंज पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25—25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना वाल्टरगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अरविन्द कुमार निवासी तरैनी थाना गौर जनपद बस्ती, हालपता दक्षिण द्वारा गनेशपुर थाना वाल्टरगंज जनपद बस्ती।

2—अभियुक्ता।

जनपद खीरी/थाना हैदराबाद

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 04.04.2025 को थाना हैदराबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर दतेली तिराहा के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त मोनू उर्फ शफीक को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना गोला पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना हैदराबाद पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–मोनू उर्फ शफीक निवासी ग्राम मुडिया मिश्र थाना गोला जनपद खीरी।

जनपद बाराबंकी/थाना रामनगर

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 07 हजार 500 रूपये नगद**
- **02 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस**
- **घटना के प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 04.04.2025 को थाना रामनगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर लोधौरा मजार के पास से 02 अभियुक्तों 1–अर्जुन 2–वकील को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही पर लूट के 07 हजार 500 रूपये नगद, 02 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस, घटना के प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 26/27.03.2025 को थाना रामनगर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना रामनगर पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना रामनगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–अर्जुन निवासी ग्राम जुड़ौरा थाना रामनगर जनपद बाराबंकी।

2–वकील निवासी लोधौरा थाना रामनगर जनपद बाराबंकी।

बरामदगी

1—लूट के 07 हजार 500 रूपये नगद।

2—02 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस।

3—घटना के प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद आजमगढ़/थाना देवगांव

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 06 मोटर साइकिल, 01 ई—रिक्शा**
- **03 मोटर साइकिल की चेचिस व अन्य पार्ट्स आदि बरामद**

दिनांक 03.04.2025 को थाना देवगांव पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर हाईवे कट देवगांव के पास चेकिंग के दौरान अभियुक्त 1—शुभम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के निशादेही पर अभियुक्त 2—श्याम नरायन 3—मनोज 4—विनोद 5—सुरेन्द्र उर्फ कल्लू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 06 मोटर साइकिल, 01 ई—रिक्शा, 03 मोटर साइकिल की चेचिस व अन्य पार्ट्स आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त श्याम नरायन, मनोज, विनोद व सुरेन्द्र उर्फ कल्लू के विरूद्ध जनपद आजमगढ़ के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 05—05 अभियोग एवं अभियुक्त शुभम के विरूद्ध जनपद आजमगढ़, कमिश्नरेट वाराणसी के विभिन्न थानो में चोरी, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट के 22 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना देवगांव पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शुभम निवासी मरूई सरैया थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी।

2—श्याम नरायन निवासी बेनीपुर खुर्द थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी।

3–मनोज निवासी पलई पट्टी थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी।

4–विनोद निवासी पाण्डेयपुर थाना पहड़िया कमिश्नरेट वाराणसी।

5–सुरेन्द्र उर्फ कल्लू निवासी पाण्डेपुर थाना पहड़िया कमिश्नेट वाराणसी।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी की 06 मोटर साइकिल, 01 ई–रिक्शा।

2–03 मोटर साइकिल की चेचिस व अन्य पार्ट्स आदि।

<u>जनपद सोनभद्र/थाना शाहगंज</u>

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 01 करोड़ 60 लाख रूपये कीमत के 08 कुन्तल अवैध गांजा**
- **01 डीसीएम वाहन आदि बरामद**

दिनांक 03.04.2025 को थाना शाहगंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रॉबर्टसगंज–घोरावल मार्ग बनौरा के पास से 02 अभियुक्तों 1–डेविड कुमार 2–जगमोहन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 01 करोड़ 60 लाख रूपये कीमत के 08 कुन्तल अवैध गांजा, 01 डीसीएम वाहन आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना शाहगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–डेविड कुमार निवासी मकोईया थाना खोडारे जनपद गोण्डा।

2–जगमोहन निवासी पंडित का पुरवा थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।

<u>बरामदगी</u>

1–लगभग 01 करोड़ 60 लाख रूपये कीमत के 08 कुन्तल अवैध गांजा।

2–01 डीसीएम वाहन आदि।

- **<u>जनपद हाथरस/थाना कोतवाली नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 50–50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हाथरस पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हाथरस द्वारा थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त रामवीर धारा 302 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं अभियुक्ता को धारा 120बी सपठित धारा 302 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद हमीरपुर/थाना सुमेरपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हमीरपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हमीरपुर द्वारा थाना सुमेरपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/452 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त विसार खाँ को आजीवन कारावास व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद कौशाम्बी/थाना कोखराज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद कौशाम्बी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कौशाम्बी द्वारा थाना कोखराज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 4 सपठित धारा 3 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त पप्पू को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद हमीरपुर/थाना मौदहा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 80 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हमीरपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हमीरपुर द्वारा थाना मौदहा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त रियाज खाँ को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 80 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

————